



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001.
CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या-1888-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2019-3(193)ई०एम०-03/2010

दिनांक: 11 दिसम्बर, 2019

लेखाधिकारी (पेंशन),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय: श्री अशोक कुमार गुप्ता (2010193), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता को अनन्तिम पेंशन (PROVISIONAL PENSION) की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री अशोक कुमार गुप्ता (2010193), सेवानिवृत्त (दिनांक 30.09.2019) तत्कालीन सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षण खण्ड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, जनपद शामली को एक शिकायती प्रकरण की जांच में उपखण्ड अधिकारी, वि०वि० उपखण्ड, नूरपुर, शामली के पद पर तैनाती अवधि में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर कारपोरेशन स्तर से श्री गुप्ता के विरुद्ध नियमित अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया सम्पादित किये जाने हेतु प्रकरण जांच समिति को संदर्भित किया गया था, इसलिए जांच समिति ने श्री अशोक कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता को आरोप पत्र सं०-437/सं०-85 जा०स०/02/19, दिनांक 24.04.2019 द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

अतः कारपोरेशन के पत्र संख्या-1536-पीएण्डआर-28/पाकालि/2003-46पी/86, दिनांक 21.05.2003 द्वारा अंगीकृत शासनादेश संख्या-सा-3-780/दस-901/96, दिनांक 24.06.1996 के क्रमांक-4 में निहित प्राविधानानुसार मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री अशोक कुमार गुप्ता (2010193), सेवानिवृत्त (दिनांक 30.09.2019) सहायक अभियन्ता के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही प्रकरण अन्तिम रूप से निस्तारित होने तक, ग्रेच्युटी का भुगतान रोकते हुए, उन्हें अनन्तिम पेंशन (PROVISIONAL PENSION) अधिकृत किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृपया पेंशन इकाई के पत्र संख्या-3081/उ०म०प्र०/पेंशन/14589/19-20, दिनांक 07.12.2019 के सन्दर्भ में उपर्युक्तानुसार कृत कार्यवाही से अधिशासी प्रबन्ध अनुभाग-03 को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(हिमांशु वार्ण्य)
उप सचिव (अ०प्र०-03)

संख्या-1888(1)-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2019-तददिनांक:

प्रतिलिपि: अनुसचिव (05सी), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पत्र सं०-2277-शि०जा०-5सी/पाकालि/2019, दिनांक 20.09.2019 द्वारा सूचित श्री अशोक कुमार गुप्ता (2010193), सहायक अभियन्ता के विरुद्ध पत्रावली संख्या-7(01)05सी/2019 में लम्बित प्रकरण का निस्तारण अतिशीघ्र करा कर कृत कार्यवाही की सूचना से अधिशासी प्रबन्ध अनुभाग-03 को अवगत करने का कष्ट करें, ताकि उन्हें पेंशन तथा ग्रेच्युटी अधिकृत की जा सके।

L. D. Singh

(हिमांशु वार्ण्य)
उप सचिव (अ०प्र०-03)

संख्या-1888(2)-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2019-तददिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

पंजीकृत

1- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ-250001.

2- अपर सचिव (तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

3- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

पंजीकृत

4- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, शामली को श्री अशोक कुमार गुप्ता (2010193), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि पावती के साथ ही श्री गुप्ता का मोबाइल नम्बर कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5- अधिशासी अभियन्ता (वेब0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

पंजीकृत

6- श्री अशोक कुमार गुप्ता (2010193), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, मकान नं0-336, ब्लॉक-ए 1, गली नं0-10, हर्ष विहार, दिल्ली-110093. को इस आशय से प्रेषित कि अपना मोबाइल नम्बर कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराने के साथ ही सेवानैवृत्तिक देयों के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें/प्रपत्र (यदि प्रस्तुत न किये गये हों तो) सम्बन्धित इकाइयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7- कट फाइल।

(हिमांशु वार्णाय)

उप सचिव (अ0प्र0-03)

हिमांशु